



2026:AHC-LKO:8218-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 178 सन 2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

..... आवेदक(ओं)

बनाम

राजेंद्र कुमार सोनवानी एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2025 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

1. सुनवाई हुई।
2. यह राज्य द्वारा दिनांक 16.01.2025 को रिट याचिका संख्या 470/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ बनाम राजेंद्र कुमार सोनवानी और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश के पुनरीक्षण हेतु दायर किया गया आवेदन है।
3. लगभग 245 दिनों का विलंब हुआ है। यद्यपि परिसीमा अधिनियम, 1963 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पारित निर्णय के पुनरीक्षण हेतु दायर की गई पुनरीक्षण कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होता, जैसा कि **श्रीमती मोहम्मद जहाँ बेगम एवं अन्य (एम/एस 349/2007) बनाम उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद एवं अन्य** के मामले में एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा दिनांक 23.09.2016

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को पुनरीक्षण याचिका संख्या 329/2010 में दिए गए निर्णय में कहा गया है, फिर भी, विलंब एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

4. हमने पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करने के लिए दायर शपथ-पत्र का अध्ययन किया है और उसमें दी गई व्याख्या संतोषजनक नहीं पाई है। केवल फाइल को एक डेस्क से दूसरे डेस्क या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करना इस मामले में हुई अत्यधिक विलंब का स्पष्टीकरण नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *शिवम्मा (मृत) बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य* के मामले में दिए गए हालिया निर्णय *2025 एससीसी ऑनलाइन 1969*, दिनांक 12.09.2025 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर, हमें इस पुनरीक्षण आवेदन को दाखिल करने में हुये अत्यधिक विलंब को माफ करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

5. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, चूंकि विलंब न केवल अत्यधिक है, बल्कि इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है, इसलिए हमें विलंब को माफ करने का कोई कारण नहीं दिखता। विलंब माफ करने हेतु आवेदन खारिज किया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण आवेदन भी खारिज किया जाता है।

[न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 3, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।